


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज उपस्थित अथवा विवेक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06-09-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। आवाधी नं. 5 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने समेत एडवोकेट पेश की। वकालत पेश होने पर वकालतनामा पत्रावली दिनांक 15-9-23 को पेश है।	
15-9-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी ने आवाधी संख्या 3 व 4 की ओर से पेश क्रॉस रीट आई का आदेश प्राप्त प्राप्ति पत्र रीट आई पेश की। जिसमें नकल फिलहाल आकर सम्मिलित पत्रावली किम आया वकालत पेश होने पर आदेश प्राप्ति रीट आई आवाधी संख्या 1 व 2 एवं पेश होने पर वकालतनामा पत्रावली दिनांक 26-9-2023 को पेश है।	
26.09.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर आज अंतरिम निर्णय पारित किया जाकर दावा में प्रारम्भिक डिकी जारी हो चुकी है। अतः मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिकी जारी हो जाने	

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीनाथपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीनाथपुर (नीमकाथाना)

तारीख  
हुक्म

दिलीप सिंह बनाम विजेन्द्र सिंह

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

श्री ० पत्र प्रत्याह निषेध

सं. 62/2020

नम्बर  
अहमदाबाद  
हुक्म  
से

से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
26/09/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)